आदेश की क्र0स0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा– घंघरी में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–22, प्लॉट सं0– 185/3 कुल रकबा–1.50 ए0 पर श्री बालेश्वर सिंह पिता भागरीत सिंह के द्वारा जोत–कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं0 50/1994–95 के अन्तर्गत दिनांक 26.03.1995 को मौजा– घंघरी, थाना सं0–344 के अंतर्गत उक्त खाता सं0–22, प्लॉट सं0– 185/3 कुल रकबा–1.50 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री बालेश्वर सिंह पिता भागरीत सिंह के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा–घंघरी के मांग पंजी II के पेज सं0 55/IV पर दर्ज होकर वर्ष 2006–07 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। उक्त अवैध जमाबंदी वाद सं0 164/2016–17 से बाहर किया जा सकता है।" अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई ......समाप्त...... की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 12/12/2024 अंचल अधिकारी, मनातू। 12/12/2024 अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी केस नं॰ 164/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा- चांपरी में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं॰ 22 प्लौट- 185/3 कुल रकबा- 1.50 ए० पर श्री बालेश्वर सिंह पिता- भागरीत सिंह के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जाँच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बंदो॰ वाद सं॰ 50/94-95 के अन्तर्गत दिनांक- 28/3/95 को मौजा- चांपरी थाना नं॰ 354 के अन्तर्गत उक्त खाता सं॰ 22, प्लौट सं॰ 185/3 रकबा- 1.50 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री बालेश्वर सिंह पिता- भागरीत सिंह के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा- चांपरी के भाग पंजी-II के पेज सं॰ 53/4 पर दर्ज होकर 2006-07 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद / अवैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद / अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

12/12/2024

विश्वासभाजन
अनिल कु० रजक
रा० उ० नि०
हल्का -III

12/12/24
RSI + CI

12/12/2024

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2024.12.17 12:15:30 +05:30
Location: 192.168.190.97